

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस

मि0न0 - 26/2020(2020/00118)

अनवान : -



1. प्रेमकला पत्नी कुरडाराम जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।

प्राथी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरुस्ती  
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :- श्री किशनलाल यादव प्रार्थी  
राज पैरोकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 21/12/2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 35/29 के मुर्ब्बा नम्बर 6, 7 की कुल 2.543 हैक्टेयर कृषि भूमि गुड्डी पत्नी कुरडाराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम प्रेमकला की बजाए गुड्डी दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थीया का आधार कार्ड, राशन कार्ड व वोटर लिस्ट इत्यादि में प्रार्थीया का नाम प्रेमकला दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत गढ़ीछानी के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थीया का उपरोक्त जमाबन्दी में प्रेमकला की बजाए गुड्डी दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकती है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकती है। प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम गुड्डी के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम प्रेमकला दर्ज करा पाने की मजाज कानूनी है।

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम प्रेमकला के स्थान पर गुड्डी दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीया का नाम गुड्डी दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। प्रार्थीया के चक 6 जेएसएल में खाता संख्या 35/29 में प्रार्थीया का नाम प्रेमकला दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नहीं होती है।


प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेशकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया तथा तहसीलदार भादरा ने रिपोर्ट पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने रोही मौजा चक 6 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 35/29 के मुरब्बा नम्बर 6, 7 की कुल 2.543 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि "प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रेमकला के स्थान पर गुड्डी दर्ज करवा लिया।" जिसके समर्थन में प्रार्थीया ने अपना मुख्य परीक्षा का शपथ पेश कर प्रमाणित प्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज पेश किये हैं जिनमें प्रार्थीया का नाम प्रेमकला अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा चक 6 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 35/29 के मुरब्बा नम्बर 6, 7 की कुल 2.543 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में प्रार्थीया का नाम "गुड्डी के स्थान पर गुड्डी उर्फ प्रेमकला" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच गुड्डी पत्नी कुरडाराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए गुड्डी पत्नी कुरडाराम ही प्रभावी मानी जायेगी तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेवार होगी। तहसीलदार राजस्व भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/12/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायलिखित सुनाया गया।



  
(ज. न. सिंह) (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़